(२)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर.के.मिश्रा,

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2469-एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 08-05-2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमाक 908/अपील/09-10.

हीरालाल यादव तनय सूरजदन यादव
निवासी ग्राम सिंहपुर तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0

.....आवेदक

बनाम

1. रामशरण तनय सूरजदीन अहीर
2. श्रीकेशन तनय सूरजदीन अहीर
3. बाबूलाल तनय सूरजदीन अहीर
4. निवासी ग्राम सिंहपुर तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री रविनाथ चतुर्वेदी अधिवक्ता, आवेदक
श्री अनुज शुक्ल अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/02/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 08-05-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि ग्राम मौजा सिंहपुर की आराजीखसरा क्रं0 465/2घ रकवा 4.00 पर पारित बटवारा आदेश दिनांक 12-3-08 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी मझगंवा के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक

की अपील को आदेश दिनांक 17-10-2010 को निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 8-5-2012 को अपील खारिज की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण ने प्रश्नाधीन भूमि के बटवारा/नामांतरण बावत आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया था जहां पर आवेदक सहित सभी भाईयों के मौखिक कथन अंकित किये गये। स्वतंत्र साक्षियों के कथन अंकित किये गये। फर्द बटवारा पुल्ली तैयार की गई है जिसमें सभी को बराबर बराबर 1 एकड़ का बटवारा करने के आदेश दिये। प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को पट्टे पर मिली इसका कोई प्रमाण नहीं है। तहसीलदार ने परीक्षण कर पटवारी कथन के आधार पर कब्जा तथा रिकार्ड परीक्षण कर सहमति अनुसार बटवारा किया है। तहसीलदार द्वारा पारित बटवाराआदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने भी यथावत रखा है। इस न्यायालय में कोई नवीन तथ्य पेश नहीं किये है जिससे सम्पूर्ण भूमि आवेदक की सिद्ध हो सके। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई इस निगरानी में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा, संभाग रीवा म0प्र0 द्वारा पारित दिनांक 08-05-2012 स्थिर रखा जाता है।

4/02/2019

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर